राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021–22/79 दिनांकः 13/04/2021

<u>अधिसूचना</u>

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.09.2020 के द्वारा ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर को कोरोना वायरस (कोविड–19) के उपचार के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्णतः समर्पित (Dedicated) अस्पताल घोषित किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर को समस्त भौतिक एवं मानव संसाधन सहित तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्रदान करता हूँ।

उक्त अस्पताल को प्रभावी रूप से Dedicated कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने हेतु समस्त चिकित्सकीय प्रबधंन प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर द्वारा किया जाएगा। मेडिकल लॉजिस्टिक की समस्त व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा की जावेगी। अन्य समस्त लॉजिस्टिक प्रबन्धन जिला कलक्टर जयपुर द्वारा किया जावेगा।

सिद्धार्थ 13/4/21

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021–22/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. जिला कलक्टर जयपुर।
8. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
10. अधीक्षक, ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
13. जन संपर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
14. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner